

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

वासीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS
वापत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.
संख्या:- 257/2023

- 1 सुनीता देवी पत्नी स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 मोहित पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--वादीगण

- बनाम
- 1 महावीर पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 - 2 ओमप्रकाश पुत्र रामलाल (फौत)
2/1 सोनादेवी पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2/3 प्रमोद कुलडिया पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 - 3 कान्ता पत्नी सुन्दरपाल जाति जाट निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 - 4 सिलोचना पत्नी शिशपाल पुत्री श्री रामलाल जाति जाट निवासी रंगमहल (रामपुरा) तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
 - 5 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा डबलीराठान जरिये शाखा प्रबंधक ।
 - 6 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--प्रतिवादीगण

स्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री भवानी सिंह निर्वाण - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2/1 ता 2/3, 4
3. श्री धीर सिंह बराड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3
4. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 6

--निर्णय:-

दिनांक 12.02.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी धिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के म से निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है-

(क) चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 14/119 के पत्थर नंबर 88/283 (3) कला नंबर 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 पत्थर नंबर 88/284 (8) कला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 12/0.228, 13, 14, 19/2/0.076, कुल 3.340 हैक्टेयर नाली मय गैरमुमकिन व इसी चक के खाता संख्या 13/57 पत्थर नंबर 88/283 (3) कला नंबर 19, 20/1/0.059 हैक्टेयर नाली।

(ख) चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 40/78 पत्थर नंबर 88/283 (37) कला नंबर 12 कुल 0.253 हैक्टेयर नाली व इसी चक के खाता संख्या 104/77 पत्थर नंबर

88/283 (37) किला नंबर 13 से 15, पत्थर नंबर 96/279 (53) किला नंबर 24, 25, पत्थर नंबर 96/280 (5) किला नंबर 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, पत्थर नंबर 97/279 (3) किला नंबर 20, 21, पत्थर नंबर 97/280 (4) किला नंबर 1/1, 1/2 कुल 3.036 हैक्टेयर नाली मय गैरमुमकिन।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। पत्र की चरण संख्या 3 की उपचरण संख्या क व ख में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादा रामर व दादा स्व. रामलाल से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को विरासतन प्राप्त हुई है। कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य अच्छी-मंदी के लिहाज से खाता-खाला की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए घराघरु विभाजन किया हुआ है। मुताबिक घराघरु विभाजन उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादिया संख्या 4 अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती। वे अपना हक व हिस्सा वादीगण व दीगर प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है। मुताबिक घराघरु विभाजन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि प्राप्त हुई है उनके कब्जा काशत में है:- चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 14/119 के पत्थर नंबर 88/283 (3) किला नंबर 24, 25/1, 25/2, पत्थर नंबर 88/284 (8) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 12/0.228, 13, 14, 19/2/0.063 कुल 2.315 हैक्टेयर नाली मय गैरमुमकिन में वादिया संख्या 1 का 0.291 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 का 1.012 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1.012 हैक्टेयर हिस्सा।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकितानुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काशत में है व इसी अनुसार रकमराज व आबियाना अदा करते आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि को अपने श्रम व मेहनत से समतल व उपजाऊ बनाया है, लेकिन उक्त कृषि भूमि मुताबिक घराघरु विभाजन वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण व संयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण रोजाना रकमराज व सीव-बट का तनाजा रहता है। इस कारण वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि की अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर मुताबिक घोषणा खाता तकसीम करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादीगण के हक व हिस्सा व विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि की घोषणा करवाकर मुताबिक घोषणा खाता तकसीम करवा देवें, लेकिन वे इन्कार हो गए। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य व सहखातेदार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 के यहां भूमि अधिभारित होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 6 के भू-धारक होने व आवश्यक पक्षकार होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किए गए हैं।

यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

क- कि घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 14/119 के पत्थर नंबर 88/283 (3) किला नंबर 24, 25/1, 25/2, पत्थर नंबर 88/284 (8) किला नंबर 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 12/0.228, 13, 14, 19/2/0.063 कुल 2.315 हैक्टेयर नाली मय गैरमुमकिन में वादिया संख्या 1 का 0.291 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 का 1.012 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 1 का 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार काशतकार हैं। आदि आदि कथन कर वाद पत्र पेश किया गया।।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी 3 की ओर से अधिवक्ता धीर सिंह बराड़ व प्रतिवादी सं. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने दावा में राजीनामा पेश मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल करवावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। राजीनामा का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

- अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है कि:-
- 1) वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 14/119 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 16/1, 16/2, 16/3, 24/0.204 (पूर्वी), 25/1, 25/2, पत्थर नंबर 88/284 (8) के किला नंबर 12/0.228, 12/0.040 (पश्चिमी) कुल 1.231 हैक्टेयर।
- 2) 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 88/283 (37) के किला नंबर 14/0.024 (दक्षिणी), 15/0.024 (दक्षिणी), पत्थर नंबर 96/279 (53) के किला नंबर 24, 25 व पत्थर नंबर 96/280 (5) के किला नंबर 5/1/0.076 (उत्तरी), 5/2/0.025 कुल 0.655 हैक्टेयर।
- 3) चकों की कुल 1.886 हैक्टेयर में वादिया संख्या 1 का 0.464 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 का 0.711 है व प्रतिवादी संख्या 1 को 0.711 हैक्टेयर।
- 4) प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 13/57 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 19/0.204 (पश्चिमी), 20/0.059 कुल 0.263 है।
- 5) 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 40/78 पत्थर नंबर 88/283 (37) के किला नंबर 12 कुल 0.253 हैक्टेयर।
- 6) 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 88/283 (37) के किला नंबर 13, 14/0.229 (उत्तरी), 15/0.229 (उत्तरी), पत्थर नंबर 97/279 (3) के किला नंबर 20, 21, पत्थर नंबर 97/280 (4) के किला नंबर 1/1/0.076 (उत्तरी), 1/2/0.025 कुल 1.18 हैक्टेयर। तीनों खातों की कुल 1.834 में प्रतिवादिया संख्या 2/1 का 0.455 व प्रतिवादी संख्या 2/2 का 0.689 व प्रतिवादी संख्या 2/3 का 0.690 हैक्टेयर।
- 7) प्रतिवादी संख्या 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 14/119 पत्थर नंबर 88/284 (8) के किला नंबर 4/1, 4/2, 7, 8/0.04 (दक्षिणी), 13, 14, 19/0.036 (पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण) कुल 1.252 हैक्टेयर।
- 8) 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 96/280 (5) के किला नंबर 4/1, 4/2, 7/0.101 (पश्चिमी), 8 कुल 0.607 हैक्टेयर। दोनो चको की कुल 1.859 हैक्टेयर।
- 9) प्रतिवादी संख्या 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 14/119 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 18, 23, 24/0.049 (पश्चिमी), पत्थर नंबर 88/284 (8) के किला नंबर 3/1, 3/2, 8/0.049 (उत्तरी) कुल 0.857 हैक्टेयर।


9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ के संख्या 13/57 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 9/0.049 (पूर्वी) कुल 0.049 हैक्टेयर।

10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 96/280 (5) के किला नंबर 5/1/0.152 (दक्षिणी), 7/0.152 (पूर्वी), पत्थर नंबर 97/280 (4) किला नंबर 1/1/0.152 (दक्षिणी) कुल 0.456 हैक्टेयर। दोनो चको की कुल 1.362 हैक्टेयर। इसी अनुसार घोषणा की जाकर खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिये जाते है। पर्या डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद यदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज (दि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल जारी कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026

को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से खवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

ट- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावे।


(मानोज लाल) RAS
सहायक सहायक अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व मुकदमें ईक्टदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

वकील अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

संख्या:- 257/2023

- 1 सुनीता देवी पत्नी स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 मोहित पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादीगण

बनाम

- 1 महावीर पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 2 ओमप्रकाश पुत्र रामलाल (फौत)
 - 2/1 सोनादेवी पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 - 2/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
 - 2/3 प्रमोद कुलडिया पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3 कान्ता पत्नी सुन्दरपाल जाति जाट निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 4 सिलोचना पत्नी शिशपाल पुत्री श्री रामलाल जाति जाट निवासी रंगमहल (रामपुरा) तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
- 5 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा डबलीराठान जरिये शाखा प्रबंधक ।
- 6 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई करू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सहारण वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री भवानी सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है कि:- (क) वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 14/119 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 16/1, 16/2, 17, 24/0.204 (पूर्वी), 25/1, 25/2, पत्थर नंबर 88/284 (8) के किला नंबर 12/0.228, 19/2/0.040 (पश्चिमी) कुल 1.231 हैक्टेयर। चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 88/283 (37) के किला नंबर 14/0.024 (दक्षिणी), 15/0.024 (दक्षिणी), पत्थर नंबर 96/279 (53) के किला नंबर 24, 25 व पत्थर नंबर 96/280 (5) के किला नंबर 5/1/0.076 (उत्तरी), 5/2/0.025 कुल 0.655 हैक्टेयर। दोनों चकों की कुल 1.886 हैक्टेयर में वादिया संख्या 1 का 0.464 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 को 0.711 है व प्रतिवादी संख्या 1 को 0.711 हैक्टेयर।

(क) प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 13/57 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 19/0.204 (पश्चिमी), 20/0.059 कुल 0.263 है।

चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 40/78 पत्थर नंबर 88/283 (37) के किला नंबर 12 कुल 0.253 हैक्टेयर।

चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 88/283 (37) के किला नंबर 13, 14/0.229 (उत्तरी), 15/0.229 (उत्तरी), पत्थर नंबर 97/279 (3) के किला नंबर

20, 21, पत्थर नंबर 97/280 (4) के किला नंबर 1/1/0.076 (उत्तरी), 1/2/0.025 कुल 1.838 हैक्टेयर। तीनों खातों की कुल 1.834 में प्रतिवादिया संख्या 2/1 का 0.455 व प्रतिवादी

संख्या 2/2 का 0.689 व प्रतिवादी संख्या 2/3 का 0.690 हैक्टेयर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 14/119 पत्थर नंबर 88/284 (8) के किला नंबर 4/1, 4/2, 7, 8/0.04 (दक्षिणी), 13, 14, 19/0.036 (पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण) कुल 1.252 हैक्टेयर।

चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 96/280 (5) के किला नंबर 4/1, 4/2, 7/0.101 (पश्चिमी), 8 कुल 0.607 हैक्टेयर। दोनों चको की कुल 1.859 हैक्टेयर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण - चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 14/119 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 18, 23, 24/0.049 (पश्चिमी), पत्थर नंबर 88/284 (8) के किला नंबर 3/1, 3/2, 8/0.049 (उत्तरी) कुल 0.857 हैक्टेयर।

चक 9 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 13/57 पत्थर नंबर 88/283 (3) के किला नंबर 19/0.049 (पूर्वी) कुल 0.049 हैक्टेयर।

चक 10 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के संख्या 104/77 पत्थर नंबर 96/280 (5) के किला नंबर 5/1/0.152 (दक्षिणी), 7/0.152 (पूर्वी), पत्थर नंबर 97/280 (4) किला नंबर 1/1/0.152 (दक्षिणी) कुल 0.456 हैक्टेयर। दोनों चको की कुल 1.362 हैक्टेयर।

इसी अनुसार घोषणा की जाकर खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व कॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर आतेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा अरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.02.2026 को जारी किया गया।


(मांगी लाल) BAS
सहायक कलेक्टर
एवं संपूर्ण अधिकारी
हनुमानगढ़